(139)

R469 PBR/II/6
25-10-16 PP

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

प्र0क0 / /2016 3221-9288 PBR/I

गुलाबसिहं आ0 श्री घूरनसिहं
निवासी कृष्ण कुन्ज कालोनी वार्ड क्र0 13
टिमरनी जिला हरदा म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

पोखर आ0 श्री घूरनसिहं
निवासी ग्राम नवलगांव तहसील सिवनी मालवा
जिला होशगाबाद म0प्र0 ....अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :

1. यह कि आवेदक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी । जो सुनवाई हेतु दिनांक 25/10/2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत थी ।
2. यह कि आवेदक ने पेशी दिनांक 25/10/2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बावत् अपने स्थानीय अभिभाषक को वकालतनामा एवं आवश्यक दस्तावेज दिये गये थे । आवेदक अभिभाषक द्वारा आश्वासन दिया गया था दिया गया था कि वह पेशी पर उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत कर देगें। परन्तु अनावेदक अभिभाषक दिनांक 25/10/2016 कि पेशी अपनी डायरी में भूल नोट करना भूल गये । तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण आवेदक भी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ । इसलिये पुकार के समय आवेदक एवं उसके अभिभाषक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सकें । परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त करने के आदेश दिये गये ।
3. यह कि आवेदक एवं उसके अभिभाषक कि नियत दिनांक को हुई अनुपस्थिति सद्भावना पुर्वक होने से क्षमा योग्य है ।
4. यह कि अभिभाषक कि त्रुटि के लिये आवेदक को दण्डित नही किया जाना चाहिए ।
5. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में दिनांक 25/10/16 को प्रकरण में की गयी कार्यवाही को समाप्त किया जाना आवश्यक है, जिससे की आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन कर सके ।
6. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है ।

:: प्रार्थना ::

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण कमांक निगरानी– ~~460~~/पीबीआर/2016 को पुनः पुर्नस्थापित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें । 469

आवेदक

भोपाल
दिनांक : 23/11/2016 द्वारा

अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक 23/11/16 को पेश।
अधीक्षक

NF 27/12

Regto 9282-MP/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
24.1.2017	आवेदक की ओर से श्री प्रेमसिंह अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।	
[signature]	[signature] अध्यक्ष	